भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4350
20 दिसंबर 2024 को उत्तर देने के लिए

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शोध

4350. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान के अंतर्गत समेकित देखभाल, साध्य-आधारित प्रथाओं, सांस्कृतिक कारकों और नैतिक और विनियामक पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/की जाने वाली पहलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): सरकार मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान में एकीकृत देखभाल, साक्ष्य-आधारित प्रथाओं, सांस्कृतिक कारकों और नैतिक और विनियामक विचारों के महत्व को मानती है, क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण अंग हैं। सरकार ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, राज्य सरकारों और अन्य साझेदार एजेंसियों के साथ साझेदारी में साक्ष्य-आधारित मानसिक स्वास्थ्य मध्यस्था के क्षेत्र में कार्यान्वयन अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि उसने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजनाएँ संचालित की हैं। यह मानसिक बीमारियों का शीघ्र पता लगाने, रोकथाम और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल अनुसंधान को भी वित्त पोषित करता है। मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान में आईसीएमआर द्वारा संचालित किए गए अतिरिक्त सहयोग इस प्रकार हैं:

1) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए डिजिटल मध्यस्था पर प्रौन्नत अनुसंधान के लिए आईसीएमआर ने NIMHANS में एक केंद्र की स्थापना की है, जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के डिजिटल समाधानों पर अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

2) आईसीएमआर ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के संज्ञानात्मक कार्यों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एम्स दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य में न्यूरोमॉड्यूलेशन हेतु प्रौन्नत अनुसंधान और उत्कृष्टतम केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

आईसीएमआर द्वारा समर्थित अध्ययनों ने मानसिक बीमारियों के जैविक आधार को समझने के तरीके प्रशस्त करने के अलावा जोखिम कारकों, मनोसामाजिक हस्तक्षेपों और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (NIMHANS), बेंगलुरु ने सूचित किया है कि 'सिज़ोफ्रेनिया के कोर्स और परिणाम से जुड़े कारकों का अध्ययन' (SOFACOS) भारत में किया गया एक ऐतिहासिक अध्ययन था, जिसमें परिणामों, विशेष रूप से कमी और कई नैदानिक और सामाजिक कारकों के साथ इसके संबंध का अध्ययन किया गया।

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल सहित सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति के प्रबंधन के लिए 'अधिकार-आधारित दृष्टिकोण' के साथ मानसिक बीमारी के प्रबंधन के लिए एक नया नियामक ढांचा पेश किया है।

अन्य पहलों में, सरकार ने मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने वाली 24/7 हेल्पलाइन टेली मानस की स्थापना की है। 53 टेली मानस प्रकोष्ठों की स्थापना करके, यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि देश भर में, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, व्यक्ति दूरसंचार के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सकें। हाल ही में, टेली मानस ऐप का एक एंड्रॉइड संस्करण जारी किया गया।

भारत में, इस तरह के बहुआयामी दृष्टिकोण से एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने के लिए अनुसंधान, सेवा वितरण और क्षमता निर्माण को जोड़ा गया है।

पिछले दशक में, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एकीकृत देखभाल और साक्ष्य-आधारित प्रथाओं और सांस्कृतिक कारकों के साथ-साथ नैतिक और नियामक विचारों पर शोध में काफी वृद्धि हुई है। कुछ उदाहरणों में मूड विकारों के लिए मनोचिकित्सा पद्धतियों की भारतीय प्रणालियों, माइंडफुलनेस, बुजुर्गों, बच्चों और किशोरों जैसी विशिष्ट आबादी के लिए साक्ष्य आधारित मूल्यांकन जैसे स्वदेशी तरीकों के एकीकरण पर अध्ययन शामिल हैं।

****